

संपादकीय

पर्यावरण की बलि पर औद्योगिक विकास नहीं

मध्यप्रदेश सरकार ने अति प्रदूषणकारी उद्योगों को सामान्य औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर रखने का निर्णय लिया है। यह उस लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा के विरुद्ध एक गंभीर हस्तक्षेप है, जो औद्योगिक नीति के नाम पर होती रही है। अब तक सामान्य औद्योगिक क्षेत्र की परिभाषा इतनी व्यापक थी कि उसमें सॉफ्टवेयर इकाई से लेकर चमड़ा उद्योग तक और ईंट भट्टे से लेकर खिलौना इकाई तक शामिल थे। इस घालमेल ने कई औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदूषण का अड्डा बना दिया था। अब अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए शहरों से दूर अलग क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे। यह पर्यावरणीय न्याय की दिशा में आवश्यक कदम है।

इस निर्णय को समझने के लिए 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को याद करना जरूरी है। एक रासायनिक कारखाने से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों को जान ले ली और उसके दुष्प्रभाव आज भी दिखाई देते हैं। उस त्रासदी ने चेताया था कि खतरनाक उद्योगों को घनी आबादी के बीच स्थापित करना कितना विनाशकारी हो सकता है। इसके बावजूद आज भी कई शहरों में रियायशी इलाकों के आसपास प्रदूषणकारी उद्योग चल रहे हैं। ऐसे में आबादी और उद्योगों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करना जरूरी है।

सरकार ने उद्योगों को लाल, नारंगी और हरी श्रेणियों में विभाजित किया है। लाल श्रेणी में चमड़ा प्रसंस्करण, ईंट भट्टे, स्टोन क्रशर, पत्थरा निर्माण, रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, धातु प्रसंस्करण, कागज और न्यूज़प्रिंट जैसे उद्योग शामिल हैं। इनसे निकलने वाले धुएँ और अपशिष्ट में हानिकारक तत्व हो सकते हैं, जो हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इसलिए इन्हें सामान्य उद्योगों के साथ रखना पर्यावरण के प्रति अन्याय है।

हालांकि, केवल उद्योगों को शहर से बाहर भेज देना समस्या का समाधान नहीं है। यदि वे बिना उपचार के अपशिष्ट नदियों में छोड़ेंगे, तो प्रदूषण शहरों से गांवों की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। इसलिए कठोर निगरानी और प्रभावी दंड व्यवस्था जरूरी है। उद्योगों में निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली लगाई जानी चाहिए, जिसके आंकड़े सीधे प्रदूषण नियंत्रण मंडल तक पहुंचें। बार-बार नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को भी प्रदूषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि वे अपने पर्यावरण की निगरानी में भागीदारी निभा सकें।

इस पूरी व्यवस्था की सफलता मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्यक्षमता पर भी निर्भर करेगी। पर्याप्त तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षित कर्मचारियों और प्रभावी निरीक्षण के बिना कोई नीति सफल नहीं हो सकती। मंडल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखकर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। नियमों के पालन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

विश्व हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश को भी स्वच्छ तकनीक, अपशिष्ट उपचार संवर्धन, सौर ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अति प्रदूषणकारी उद्योगों को सामान्य क्षेत्रों से बाहर रखने का निर्णय सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसकी सफलता कठोर निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन ही सुशासन का कसौटी है। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और साफ पानी नहीं दे सकते, तो औद्योगिक विकास का कोई वास्तविक अर्थ नहीं रह जाता।

आजकल

विशेष सत्र से दो बड़े संवैधानिक बदलावों की आहट

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हुआ था, लेकिन उसका सत्रावसान अब तक नहीं किया गया है। इसी सत्र के दौरान विशेष बैठक बुलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक लाने की चर्चा है। सवाल है कि क्या इतने बड़े संवैधानिक फैसले जल्दबाजी में होने चाहिए या इन पर देशव्यापी बहस जरूरी है?

संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन आवश्यक होता है। सरकार संख्या बल को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। चर्चा है कि तुणुमूल कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) के कुछ सांसदों और छोटे विपक्षी दलों से भी संपर्क किया जा रहा है। परिसीमन का विरोध करने वाले डीएमके जैसे दलों से बातचीत कई सवाल खड़े करती है।

परिसीमन केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने का मामला नहीं, बल्कि संघीय संतुलन का प्रश्न है। दक्षिण के राज्यों ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए हैं। यदि नए निर्वाचन क्षेत्र केवल जनसंख्या के आधार पर तय होते हैं, तो इन राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। इससे उत्तर और दक्षिण के बीच राजनीतिक असंतुलन बढ़ने की आशंका है।

महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन जनगणना और परिसीमन से जुड़ी शर्तों के कारण लागू नहीं हो पाया है। अब सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि की चर्चा है। महिला आरक्षण को वास्तविक प्रतिनिधित्व का माध्यम बनाना जरूरी है, न कि राजनीतिक लाभ का साधन।

परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विधेयक को अंतिम समय तक गोपनीय रखना उचित नहीं है। सांसदों और जनता को प्रस्ताव समझने तथा चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सर्वदलीय बैठक की मांग की है।

विशेष सत्र बुलाना सरकार का अधिकार है, लेकिन परिसीमन का समाधान संख्या बल से नहीं, व्यापक सहमति से निकलना चाहिए। जनसंख्या के साथ विकास और संघीय संतुलन को महत्व देना जरूरी है। यह सत्र टकराव का नहीं, संवाद का अवसर बनना चाहिए।

84 महादेव दर्शन यात्रा

ओंकारेश्वर महादेव की महिमा : ‘ॐ’ में समाहित है सृष्टि का रहस्य, अहंकार का अंत और आत्मबोध का आरंभ

डॉ. नवीन आनंद जोशी
.....की पावन धरती केवल मंदिरों और तीर्थों की नगरी नहीं, बल्कि भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक चेतना और जीवन के गूढ़ रहस्यों की साक्षी है। भगवान महाकालेश्वर की इस नगरी में 84 महादेवों की यात्रा श्रद्धालु को शिवत्व के विविध स्वरूपों से परिचित करती है। इसी पावन यात्रा की 52वीं कड़ी में ओंकारेश्वर महादेव की महिमा हमें सृष्टि की उत्पत्ति, आत्मा के स्वरूप और परम चेतना में विलीन होने का संदेश देती है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक समय भगवान शिव ने एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया। उस पुरुष ने शिव से पूछा कि उसे कौन-सा कार्य करना चाहिए। भगवान शिव ने उसे अपनी आत्मा का विभाण करने की आज्ञा दी। इस आज्ञा का अर्थ न समझ पाने के कारण वह दिव्य पुरुष चिंतित हो गया। तभी उसके शरीर से एक अन्य दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसे भगवान शिव ने ‘ॐ’कार’ नाम दिया। शिव की आज्ञा से ॐकार ने वेदों,

प्रदेश

सुनने को मिलती रही है कि उद्यमी को उद्योग कम और दफ्तरों के चक्कर अधिक लगाने पड़ते हैं। एक छोटी-सी इकाई लगाने के लिए भी कई खिड़कियों पर दस्तक देनी पड़ती है। हर टेबल पर अलग कागज, अलग शर्त और अलग इंतजार होता है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार का नया प्रयोग चर्चा में आया है, जिसमें 15 प्रकार के कम जोखिम वाले उद्योगों को एक ही घोषणा पत्र से शुरू करने की सुविधा देने की बात कही गई है।

इस प्रयोग को केवल एक प्रशासनिक बदलाव कहना ठीक नहीं होगा। यह सरकार की सोच में बदलाव का संकेत है। अब तक व्यवस्था संदेह पर चलती थी। पहले रोको, फिर जांचो और उसके बाद अनुमति दो। अब सोच यह बन रही है कि पहले काम करने दो और भरोसा करो कि उद्यमी नियमों का पालन करेगा। यही भरोसा इस नई नीति की आत्मा है।

नई व्यवस्था का सबसे आकर्षक हिस्सा यह है कि एक ही ऑनलाइन आवेदन से नौ तरह की अनुमतियां एक साथ मिल जाएंगी। इसमें नगरीय निकाय, श्रम, ऊर्जा, प्रदूषण और अन्य विभागों की सहमतियां शामिल बताई जा रही हैं। पहले हर विभाग की अलग फाइल बनती थी और हर फाइल की अपनी यात्रा होती थी। अब एक ही फॉर्म सभी विभागों के सिस्टम में पहुंचेगा और 30 दिनों के भीतर निर्णय की अपेक्षा की गई है। यदि तय समय में किसी विभाग से आपत्ति नहीं आती, तो इसे स्वतः स्वीकृति माना जाएगा। यह व्यवस्था फाइलें लटकाने की पुरानी प्रवृत्ति पर रोक लगाने की उम्मीद जगाती है। हालांकि, यह देखना होगा कि सभी विभागों के सॉफ्टवेयर आपस में समन्वय कर पाते हैं या नहीं।

सरकार ने शुरुआत में उन्हीं उद्योगों को चुना है, जिनसे पर्यावरण और जनसुरक्षा को बड़ा खतरा नहीं माना जाता। इनमें कपास प्रसंस्करण, रबर उत्पाद, गुड़ निर्माण, जैविक खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर असेंबली, जैव उर्वरक, पशु आहार, खिलौना निर्माण, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक लैंप और शोध आधारित इकाइयां शामिल हैं। कम जोखिम वाले उद्योगों से शुरुआत करना रणनीतिक कदम है। यदि यहां प्रयोग

वित्त की लक्ष्मण रेखा और दावोस की वैश्विक उड़ान में तालमेल

प्रदेश
इन दिनों दो समानांतर धाराएं दिखाई दे रही हैं। एक धारा कहती है कि खर्च नियंत्रित किया जाए और दूसरी कहती है कि निवेश आकर्षित करने के लिए वैश्विक मंचों पर उपस्थिति जरूरी है। दोनों बातें अपने स्थान पर कितनी उचित हैं और इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा, यह विचार का विषय है।

पिछले जुलाई में वित्त विभाग की ओर से मितव्ययिता के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए थे। इनमें सभी विभागों और निगमों से अपने खर्चों को युक्तिसंगत बनाने तथा कंसल्टेंसी जैसी सेवाओं पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। इसका उद्देश्य प्रदेश में वित्तीय अनुशासन को मजबूत करना था। इसी बीच चर्चा है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम जनवरी में दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए कंसल्टेंसी सेवाओं की सहायता ली जा सकती है। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या मितव्ययिता के निर्देश और वैश्विक आयोजनों की तैयारी साथ-साथ चल सकते हैं?

दावोस जैव मंच पर दुनिया भर के नीतिनिर्माता, उद्योगपति और निवेशक एकत्रित होते हैं। ऐसे मंच पर प्रदेश की उपस्थिति से संभावित निवेशकों को मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं से परिचित कराने और प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने का अवसर मिलता है। हालांकि, यह भी विचार करना होगा कि इस उपस्थिति को कम से कम खर्च में अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए।

वित्त विभाग ने कंसल्टेंसी सेवाओं पर संयम बरतने की बात कही है। ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि दावोस जैसी अंतरराष्ट्रीय बैठकों के लिए

नईदुनिया

भरोसे की नई इकोनॉमी और एक फॉर्म वाला प्रयोग



नई व्यवस्था का सबसे आकर्षक हिस्सा यह है कि एक ही ऑनलाइन आवेदन से नौ तरह की अनुमतियां एक साथ मिल जाएंगी। इसमें नगरीय निकाय, श्रम, ऊर्जा, प्रदूषण और अन्य विभागों की सहमतियां शामिल बताई जा रही हैं। पहले हर विभाग की अलग फाइल बनती थी और हर फाइल की अपनी यात्रा होती थी। अब एक ही फॉर्म सभी विभागों के सिस्टम में पहुंचेगा और 30 दिनों के भीतर निर्णय की अपेक्षा की गई है। यदि तय समय में किसी विभाग से आपत्ति नहीं आती, तो इसे स्वतः स्वीकृति माना जाएगा। यह व्यवस्था फाइलें लटकाने की पुरानी प्रवृत्ति पर रोक लगाने की उम्मीद जगाती है। हालांकि, यह देखना होगा कि सभी विभागों के सॉफ्टवेयर आपस में समन्वय कर पाते हैं या नहीं।

सफल रहा, तो आगे अधिक जटिल उद्योगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

दुनिया के कई विकसित देशों में उद्योग शुरू करने के लिए स्वघोषणा प्रणाली अपनाई जाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि निगरानी समाप्त हो जाएगी, बल्कि पहले काम शुरू करने और बाद में सत्यापन करने की व्यवस्था होगी। इससे समय की बचत होगी और

भारत के तीरंदाजी चैंपियनों की कहानी

समन्वय की जिम्मेदारी इसी पर होगी। लेकिन इसके पास इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि वह विभागों की देरी पर सवाल उठा सके। यदि वह केवल फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने वाली संस्था बनकर रह गई, तो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर जवाबदेही तय करनी चाहिए।

यह व्यवस्था युवाओं और स्टार्टअप के लिए भी नए अवसर खोल सकती है। युवा अब केवल नौकरी खोजने के बजाय रोजगार देने वाला बनना चाहता है। एक इंजीनियरिंग छात्र छोटी पैकेजिंग इकाई या कृषि स्नातक जैव उर्वरक इकाई शुरू करना चाहे, तो उसे महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की संभावनाएं बढ़ेंगी और पलायन कम करने में भी मदद मिल सकती है।

हालांकि, केवल पोर्टल बना देने से कारोबार करना आसान नहीं हो जाता। इसके लिए अधिकारियों की सोच बदलना भी जरूरी है। स्वघोषणा के बाद यदि अनावश्यक निरीक्षण और दबाव जारी रहा, तो भरोसे पर आधारित यह नीति बेअसर हो जाएगी। निरीक्षण जोखिम के आधार पर हो चाहिए। साथ ही, गलत जानकारी देने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अनुमति रह करने और जमाना लगाने जैसे प्रावधान भरोसे के दुरुपयोग को रोक सकते हैं।

इस प्रयोग की असली परीक्षा जमीन पर होगी। क्या जनवरी में प्रस्तावित निवेशक सम्मेलन से पहले पोर्टल पूरी तरह काम करने लगेगा? क्या जिलों के छोटे उद्यमियों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी? सरकार को प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में हेल्प डेस्क बनाकर इस व्यवस्था का प्रचार करना चाहिए। एक फॉर्म से नौ अनुमतियां देने का विचार नया नहीं है, लेकिन इसे सही ढंग से जोड़ना महत्वपूर्ण है। यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो मध्यप्रदेश उद्योगों के लिए देश के सबसे आसान राज्यों में शामिल हो सकता है। अन्यथा यह भी एक अच्छी फाइल बनकर अलमारी में बंद रह जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

भारत के तीरंदाजी चैंपियनों की कहानी अमरावती और सतारा से एशियाई खेलों तक

सिद्धांत कुमार
महाराष्ट्र के अमरावती की कुमकुम मोहोड़ ने जब तीरंदाजी शुरू की, तब खेल उपकरणों का खर्च उठाना भी उनके परिवार के लिए चुनौती था। उनके पिता अनिल मोहोड़ ने पहली बार तीरंदाजी के जुते 400 रुपये में खरीदे थे। पारंपरिक लकड़ी के धनुष से रिकवर्ड धनुष अपनाने के बाद जुतों की अगली जोड़ी पर 1,600 रुपये खर्च करने पड़े। आज 17 वर्ष की उम्र में कुमकुम के पास जुतों की दस जोड़ियां और तीन धनुष हैं। प्रायोजक भी उनमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनका सफर संघर्ष, त्याग और दृढ़ संकल्प की मिसाल है।

कोविड महामारी के दौरान एक बार कुमकुम इस चिंता में रोने लगीं कि पैसे की कमी के कारण नए तीर नहीं खरीद पाने से उनका प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। अगले ही दिन उनके पिता ने 15 हजार रुपये के तीर खरीदकर दिए और वादा किया कि अब उन्हें तीरों की कमी नहीं होने देंगे। बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए दस साल की बचत लगाने के बाद उन्होंने अपना मिठाई के डिब्बे बनाने का कारोबार भी बेच दिया। वह कहते हैं, ‘कुमकुम की मां का सपना था कि वह तीरंदाज बने। मैं अपनी जिंदगी की दो सबसे अहम महिलाओं को कैसे निराश कर सकता था? ’

पुणे जिले के पिंपरी की 18 वर्षीय पृथिका प्रदीप का सफर पांचवीं कक्षा में स्कूल की एक गतिविधि से शुरू हुआ। तीरंदाजी में रुचि बढ़ने पर उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। आज वह कोच कुणाल तावड़े के मार्गदर्शन में पिंपले गुरुव स्थित तीरंदाजी केंद्र में अभ्यास करती हैं। माता-पिता प्रिया और प्रदीप के सहयोग से उन्होंने पढ़ाई और कठिन प्रशिक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा। उनकी मेहनत का परिणाम 2026 के एशियाई खेलों में भारत के लिए जीते गए स्वर्ण पदक के रूप में सामने आया।

सतारा के 25 वर्षीय साहिल जाधव के लिए तीरंदाजी जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। कोच प्रवीण सावंत के मार्गदर्शन में उन्होंने अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और निरंतर सुधार को अपने करियर का आधार बनाया है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनके माता-पिता ने प्रशिक्षण, उपकरण और

प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। साहिल के अनुसार, भारतीय टीम की जर्सी पहनने का अर्थ अपने सपनों के साथ माता-पिता के सपनों को भी आगे बढ़ाना है। तीरंदाजी में धैर्य और मानसिक मजबूती बेहद जरूरी हैं, क्योंकि छोटी-सी गलती भी मुकाबले का परिणाम बदल सकती है। इन खिलाड़ियों की कहानियां पारिवारिक त्याग, प्रतिभा को कम उम्र में निखारने और अंतरराष्ट्रीय सफलता के लिए आवश्यक अनुशासन का महत्व बताती हैं। खिलाड़ियों की मेहनत के साथ संस्थागत सहयोग भी जरूरी है।

एनटीपीसी वर्ष 2018 से अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत भारतीय तीरंदाजी को सहयोग दे रही है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ), भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के माध्यम से 152.88 करोड़ रुपये की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसमें प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण, उपकरण, छात्रवृत्ति, अकादमियों और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर शामिल हैं।

‘धनुर्विद्या प्रोजेक्ट’ इसी प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर देकर उच्चस्तरीय प्रतियोगिताओं तक पहुंचाना है। इसमें महिला खिलाड़ियों और पैरा-तीरंदाजों के लिए भी अवसर शामिल हैं।

जय महाकाल! जय ओंकारेश्वर महादेव!

कोविड महामारी के दौरान एक बार कुमकुम इस चिंता में रोने लगी कि पैसे की कमी के कारण नए तीर नहीं खरीद पाने से उनका प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। अगले ही दिन उनके पिता ने 15 हजार रुपये के तीर खरीदकर दिए और वादा किया कि अब उन्हें तीरों की कमी नहीं होने देंगे। बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए दस साल की बचत लगाने के बाद उन्होंने अपना मिठाई के डिब्बे बनाने का कारोबार भी बेच दिया। वह कहते हैं, ‘कुमकुम की मां का सपना था कि वह तीरंदाज बने। मैं अपनी जिंदगी की दो सबसे अहम महिलाओं को कैसे निराश कर सकता था?

पुणे जिले के पिंपरी की 18 वर्षीय पृथिका प्रदीप का सफर पांचवीं कक्षा में स्कूल की एक गतिविधि से शुरू हुआ। तीरंदाजी में रुचि बढ़ने पर उन्होंने पेशेवर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। आज वह कोच कुणाल तावड़े के मार्गदर्शन में पिंपले गुरुव स्थित तीरंदाजी केंद्र में अभ्यास करती हैं। माता-पिता प्रिया और प्रदीप के सहयोग से उन्होंने पढ़ाई और कठिन प्रशिक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा। उनकी मेहनत का परिणाम 2026 के एशियाई खेलों में भारत के लिए जीते गए स्वर्ण पदक के रूप में सामने आया।

सतारा के 25 वर्षीय साहिल जाधव के लिए तीरंदाजी जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। कोच प्रवीण सावंत के मार्गदर्शन में उन्होंने अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और निरंतर सुधार को अपने करियर का आधार बनाया है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनके माता-पिता ने प्रशिक्षण, उपकरण और

प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। साहिल के अनुसार, भारतीय टीम की जर्सी पहनने का अर्थ अपने सपनों के साथ माता-पिता के सपनों को भी आगे बढ़ाना है। तीरंदाजी में धैर्य और मानसिक मजबूती बेहद जरूरी हैं, क्योंकि छोटी-सी गलती भी मुकाबले का परिणाम बदल सकती है। इन खिलाड़ियों की कहानियां पारिवारिक त्याग, प्रतिभा को कम उम्र में निखारने और अंतरराष्ट्रीय सफलता के लिए आवश्यक अनुशासन का महत्व बताती हैं। खिलाड़ियों की मेहनत के साथ संस्थागत सहयोग भी जरूरी है।

एनटीपीसी वर्ष 2018 से अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत भारतीय तीरंदाजी को सहयोग दे रही है। राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ), भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के माध्यम से 152.88 करोड़ रुपये की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इसमें प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण, उपकरण, छात्रवृत्ति, अकादमियों और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर शामिल हैं।

जय महाकाल! जय ओंकारेश्वर महादेव!